



सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
CSIR - NATIONAL PHYSICAL LABORATORY
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
(Council of Scientific & Industrial Research)
डा0 के.एस. कृष्णन् मार्ग, नई दिल्ली -110012, (भारत)
Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi - 110012, (INDIA)



विज्ञापन सं.: Rectt./02/2026

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 30.06.2026

सीएसआईआर - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत एक प्रमुख प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला भारत का राष्ट्रीय मापन संस्थान (एनएमआई) है, जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गयी थी। वर्तमान में, इसमें छः वैज्ञानिक/तकनीकी विभाग हैं, जिनमें शामिल हैं: (i) भौतिक-यांत्रिक मेट्रोलॉजी विभाग, (ii) विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेट्रोलॉजी विभाग, (iii) पर्यावरण विज्ञान एवं जैव चिकित्सा मेट्रोलॉजी विभाग, (iv) उन्नत सामग्री एवं उपकरण विभाग, (v) भारतीय निर्देशक द्रव्य (बीएनडी) विभाग और (vi) भारतीय मानक समय विभाग। इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति और समय एवं आवृत्ति से लेकर सौर सेल अंशांकन तक के नए मापदंडों के लिए मापन तकनीकों/प्रोटोकॉल का विकास करना है। सीएसआईआर-एनपीएल में क्वांटम घटना आधारित मेट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग सामग्री से संबंधित सटीक माप, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी, पतली फिल्मों और सतह विज्ञान, ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब, पर्यावरणीय प्रदूषक और जैव-उपकरण, क्रायोजेनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सक्रिय अनुसंधान समूह हैं।

तकनीशियन-1 के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए, उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड, आवश्यक अनुभव और उच्च स्तर की प्रेरणा एवं तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उत्साही, युवा भारतीय नागरिकों से तकनीशियन-1 के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर	मूल वेतन	* कुल पारिश्रमिक	** ऊपरी आयु सीमा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए (दिनांक 30.06.2026 तक)
तकनीशियन-1	कुल - 20 (बीस) पद यूआर - 07 पद, ईडब्ल्यूएस - 03 पद, ओबीसी (एनसीएल) - 09 पद, एसटी-01 पद (20 पदों में से 02 पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित हैं)।	स्तर - 02 (19900- 63200 रुपये)	₹. 19,900/-	₹. 44,428/- प्रति माह	18 वर्ष से कम नहीं और 28 वर्ष से अधिक नहीं

*कुल पारिश्रमिक का अर्थ है दिल्ली शहर में लागू न्यूनतम वेतनमान पर मकान किराया भत्ता सहित प्रतिमाह लगभग कुल पारिश्रमिक।

**कृपया छूट संबंधी विवरण खंड के अंतर्गत आयु में छूट देखें।

प्रयुक्त संक्षिप्त रूप:

{(यूआर - अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एससी - अनुसूचित जाति, एसटी - अनुसूचित जनजाति, ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर))}

आवेदकों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता, विषय, अनुभव/विशेषज्ञता के क्षेत्र और नौकरी की आवश्यकताओं आदि से संबंधित विज्ञापन के पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।

उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताएँ निम्नानुसार हैं:-

पोस्ट कोड और क्षेत्र	पदों की संख्या श्रेणी के साथ	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव
टी2 – 01 इलेक्ट्रॉनिक्स	10 (दस) [यूआर-02, ईडब्ल्यूएस-02, ओबीसी (एनसीएल) -05, एसटी-01] (10 पदों में से, 01 पद पीडब्ल्यूबीडी - [बी] श्रेणी के लिए आरक्षित है)।	एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र । या एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। या एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के तहत एक मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में 3 साल का कार्य अनुभव ।
टी2 – 02 इलेक्ट्रीशियन	05 (पांच) [यूआर-01, ईडब्ल्यूएस-01 ओबीसी (एनसीएल) - 03] (05 पदों में से, 01 पद पीडब्ल्यूबीडी - [बी] श्रेणी के लिए आरक्षित है)।	एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र । या एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव। या एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के तहत एक मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 3 साल का कार्य अनुभव।

<p>टी2 – 03 कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग अस्सीस्टेंट (COPA)</p>	<p>02 (दो) [यूआर-01, ओबीसी (एनसीएल) - 01}</p>	<p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग अस्सीस्टेंट (COPA) ट्रेड में एक आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग अस्सीस्टेंट (COPA) ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के तहत एक मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग अस्सीस्टेंट (COPA) ट्रेड में 3 साल का कार्य अनुभव।</p>
<p>टी2 – 04 मल्टीमीडिया, एनीमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स</p>	<p>01 (एक) - [यूआर]</p>	<p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और मल्टीमीडिया, एनीमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और मल्टीमीडिया, एनीमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के तहत एक मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में मल्टीमीडिया, एनीमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स ट्रेड में 3 साल का कार्य अनुभव के साथ।</p>
<p>टी2 – 05 डिजिटल फोटोग्राफर/फोटोग्राफर</p>	<p>01 (एक) - [यूआर]</p>	<p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और डिजिटल फोटोग्राफर / फोटोग्राफर ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र ।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और डिजिटल फोटोग्राफर / फोटोग्राफर ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के तहत एक मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में डिजिटल फोटोग्राफर / फोटोग्राफर ट्रेड में 3 साल का कार्य अनुभव।</p>

<p>टी2- 06 मैकेनिक मोटर वाहन</p>	<p>01 (एक) - [यूआर]</p>	<p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र ।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक प्रशिक्षु प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।</p> <p>या</p> <p>एसएससी / 10 वी कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के तहत एक मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में 3 साल का कार्य अनुभव।</p>
--------------------------------------	-------------------------	--

पद/कार्य संबंधी अपेक्षा: वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की सहायता करना।

सामान्य जानकारी एवं शर्तें:-

1. परिषद सेवा के अंतर्गत मिलने वाले लाभ:

- ए. इन पदों पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले और सीएसआईआर के लिए लागू सामान्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि दिए जाते हैं। सीएसआईआर आवंटन नियमों के अनुसार, उपलब्धता के आधार पर, परिषद के कर्मचारी अपने हक के आवास के लिए भी पात्र हैं, लेकिन ऐसे मामलों में एचआरए लागू नहीं होगा।
- बी. भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारी "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" के अंतर्गत आएं, जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवाओं में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पर आधारित है और जिसे सीएसआईआर ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है।
- सी. प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित वेतनमानों के अतिरिक्त, सीएसआईआर नियमों के अनुसार नई पेंशन प्रणाली की प्रयोज्यता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ उपलब्ध हैं।
- डी. सीएसआईआर समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, तकनीकी कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन पदोन्नति योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को कैरियर उन्नति के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
- ई. सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, भारत सरकार द्वारा बनाए गए मौलिक और पूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम और आदेश परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिस हद तक वे लागू होते हैं।

2. अन्य शर्तें:

- ए) आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- बी) सभी आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक विज्ञापन में उल्लिखित पद की सभी आवश्यक शर्तों (जैसे आयु सीमा, अनिवार्य योग्यता, अनुभव आदि) को पूरा करना होगा। आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास विभिन्न पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं हैं, जो अनिवार्य हैं, भले ही उम्मीदवार के पास आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कोई अन्य उच्च योग्यता हो। पात्रता संबंधी सलाह के लिए किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और प्रत्येक पद के लिए उल्लिखित विषय/अनुशासन में होनी चाहिए। केवल इन योग्यताओं का होना ही उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं बनाता है। प्राप्त आवेदनों की जांच विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति पद के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी और तदनुसार ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसलिए, उम्मीदवार को आवेदन में न्यूनतम निर्धारित योग्यताओं के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में सभी योग्यताओं और अनुभवों का उल्लेख करना चाहिए, साथ ही आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों और अंकपत्र/मार्कशीट (जहां लागू हो, सेमेस्टर-वार/वर्ष-वार) को संलग्न करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विवरण पूर्ण और सटीक हों।

निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड आदि से प्राप्त होनी चाहिए और अंतिम परिणाम आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले घोषित हो जाने चाहिए। पाठ्यक्रम की पूर्णता अनंतिम प्रमाण पत्र/अधिसूचना जारी होने की तिथि से गिनी जाएगी।

- सी) अनिवार्य योग्यताओं में समतुल्यता संबंधी प्रावधान के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समतुल्य योग्यता के रूप में दावा करता है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में एक आदेश/पत्र/अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो (संख्या और तिथि सहित) जिसके तहत इसे समतुल्य माना गया है। अन्यथा, ऐसे दस्तावेज के अभाव में, स्क्रीनिंग समिति को समतुल्यता के दावे को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। योग्यता(ओं) की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर-एनपीएल/सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- डी) सीएसआईआर/सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान एजेंसियों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब आवेदन 30.06.2026 को या उससे पहले हम तक पहुंच जाए, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ई) **उम्मीदवारों को आवेदन में अपना नाम, जन्म तिथि और पिता/माता का नाम एसएससी / मैट्रिकुलेशन / 10वीं कक्षा / एसएसएलसी / एचएससी प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार ही भरना होगा।** यदि कोई उम्मीदवार मैट्रिक पास करने, विवाह, पुनर्विवाह या तलाक आदि के बाद अपना नाम बदलना चाहता है, तो उसे आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्र में इसका उल्लेख करना होगा। नाम परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवार को नाम परिवर्तन/नाम में विसंगति/उम्मीदवार/माता-पिता के नाम में भिन्नता (यदि लागू हो) के समर्थन में राजपत्र अधिसूचना/उपयुक्त प्राधिकारी से शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- एफ) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी एसएससी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा/एसएसएलसी/एचएससी प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और इसके बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/मार्कशीट में जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है, तो जन्म तिथि अंकित विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र मान्य होगा।
- जी) आवेदन में दी गई गलत/अशुद्ध जानकारी और मूल दस्तावेजों में पाई गई गलत जानकारी के मामले में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- एच) **किसी उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक आधार पर, दैनिक मजदूरी पर, या अतिथि संकाय के रूप में प्राप्त अनुभव की अवधि को ट्रेड टेस्ट / लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया हेतु वैध अनुभव की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।**
- आई) **जहां भी किसी विषय/कार्यक्षेत्र में अनुभव की अवधि निर्धारित की गई हो, वह संबंधित कार्यक्षेत्र/क्षेत्र में होनी चाहिए जो ऐसे पदों के लिए निर्दिष्ट हो, और इसकी गणना उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद की जाएगी।**
- जे) यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रति राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित करके प्रस्तुत करनी होगी।
- के) अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए, जिसमें संबंधित संगठनों/संस्थानों/फर्मों/विश्वविद्यालयों में शामिल होने की तिथि और समाप्ति तिथि दोनों शामिल हों। इसके अलावा, संबंधित संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की साक्ष्य में अनुभव की प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि, वेतन, कार्य की प्रकृति आदि स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए। इनमें से किसी भी विवरण के अभाव में, सीएसआईआर-एनपीएल की स्क्रीनिंग कमेटी का स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

- एल) उम्मीदवारों को यह बताना चाहिए कि क्या उनके रक्त संबंधी/निकट संबंधी [सरकारी कर्मचारी से संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन या रक्त या विवाह द्वारा उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं] सीएसआईआर-एनपीएल या सीएसआईआर या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला / संस्थान / इकाई में कार्यरत हैं ।
- एम) यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई आदि ग्रेड प्रदान करते हैं, तो उम्मीदवारों को अपने बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी सीजीपीए/एसजीपीए/ ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई आदि ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने के सूत्र की एक प्रति आवेदन के साथ भेजनी होगी।
- एन) भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी/दिव्यांगजन) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- ओ) आयु सीमा और योग्यता निर्धारित करने की तिथि आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी, अर्थात् 30.06.2026.
- पी) जहां कहीं भी किसी विशिष्ट क्षेत्र/प्रबंध/विषय और प्रतिशत को पद के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है, और यदि यह संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त उम्मीदवार की मार्कशीट और/या डिग्री प्रमाण पत्र में स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवारों को आवेदन में वैध प्रमाणों के साथ अपने दावों को प्रमाणित करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार की मार्कशीट और/या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/प्रमाण पत्र में आवश्यक क्षेत्र/प्रबंध/विषय और प्रतिशत का उल्लेख नहीं है, तो ऐसे दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। विधिवत रूप से भरे या आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के बिना आवेदनों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- क्यू) चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।
- आर) चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान कहीं और या इस प्रयोगशाला में नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंने शामिल होने से पहले किसी अन्य संगठन में किसी पद के लिए आवेदन किया है, तो उन्हें प्रयोगशाला में शामिल होने के तुरंत बाद ऐसे आवेदनों का विवरण देना होगा।
- एस) चयनित उम्मीदवारों को सीएसआईआर-एनपीएल के निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भारत में कहीं भी सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- टी) उपरोक्त पदों पर भर्ती समय-समय पर संशोधित “तकनीकी एवं सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए सी.एस.आई.आर. सेवा नियम, 1994” द्वारा शासित है। अतः, यहाँ उल्लिखित न किए गए अन्य सभी नियम और शर्तें उक्त भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी।
- यू) आवेदन में दी गई जानकारी और प्रस्तुत किए गए सहायक/मूल दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आवेदन को अमान्य मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि स्क्रीनिंग/चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट/लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
- वी) उम्मीदवारों की प्रारंभिक जांच आवेदन में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर की जाएगी। यदि बाद में किसी भी समय यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या उन्होंने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी दी है या जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, तो उनकी उम्मीदवारी बिना किसी कारण बताए रद्द कर दी जाएगी। यदि चयन के बाद भी इसका पता चलता है, तो उन्हें किसी भी स्तर पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई की जा सकती है। सीएसआईआर-एनपीएल/सीएसआईआर ऐसी गलत/अशुद्ध जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन में दी गई सभी जानकारी सटीक और सही हो।
- डब्ल्यू) चयन संबंधी जानकारी, ट्रेड टेस्ट/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले चयनित/शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण, अपनाए गए मानदंड और कोई भी अद्यतन जानकारी केवल एनपीएल की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.nplindia.in> पर ही प्रदर्शित की जाएगी।

एक्स) किसी भी प्रकार की अंतरिम पृछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

वाई) पात्रता, आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने, चयन प्रक्रिया और ट्रेड टेस्ट/लिखित परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर-एनपीएल/सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में उम्मीदवार की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा की गई कोई भी पृछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जेड) सीएसआईआर-एनपीएल के निदेशक बिना कोई कारण बताए विज्ञापन रद्द करने या पदों को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक पद/श्रेणी के लिए दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और अंतिम चयन के समय इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। यह विज्ञापन अनिवार्य रूप से चयन प्रक्रिया पूरी होने का संकेत नहीं देता है। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी भी समय यह प्रचलित सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के अधीन होगी।

एए) सक्षम प्राधिकारी को सीएसआईआर-एनपीएल के हित में इस विज्ञापन में नियम एवं शर्तों को संशोधित करने, हटाने और जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है। इस विज्ञापन में शामिल न किए गए किसी भी मुद्दे के लिए, सीएसआईआर के उचित निर्देश लागू होंगे।

बीबी) किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना, चाहे वह राजनीतिक हो या अन्य, इस पद के लिए अयोग्यता का कारण माना जाएगा।

3. आरक्षण नियम एवं छूट:

ए) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए आयु में छूट:

भारत सरकार के प्रचलित आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, केवल उन मामलों में जहां पद इन संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। [आवेदन के साथ प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, जैसा कि आवश्यक है]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के वे उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों, अर्थात् अनारक्षित (UR) पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/1/98-स्थापना (संकल्प), दिनांक 01-07-1988 के अनुसार ऐसे पदों के लिए आयु में छूट नहीं मिलेगी और चयन के मामले में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के समान माना जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एन सी एल) की आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्र की हुई प्रति संलग्न करनी होगी, जो भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी (जैसे एसडीओ/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त आदि) द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए। ओबीसी प्रमाणपत्रों के लिए, ओबीसी स्थिति की दोनों शर्तें और साथ ही भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार 'क्रीमी लेयर' से बाहर होने की शर्तें पूरी होनी चाहिए, न कि राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार।

ओबीसी (नॉन - क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र वैध/नवीनतम होना चाहिए। सूचना और अनुपालन हेतु, उपर्युक्त ओबीसी (एनसीएल)/ एससी/एसटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र सीएसआईआर-एनपीएल के इस विज्ञापन के अंत में दिये गए हैं। ओबीसी प्रमाणपत्र भारत सरकार के संबंधित आदेशों के संदर्भ में भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर मानदंड शामिल हों, न कि उन राज्य सरकारों के आदेशों के संदर्भ में किसी राज्य में नियुक्ति के लिए। ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में दर्ज जातियों पर आधारित होगी और उनकी उपजातियाँ केंद्रीय ओबीसी सूची में दर्ज प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी किसी भी लागू आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी और यदि वे अन्यथा पात्र हैं तो उन्हें अनारक्षित (UR) माना जाएगा। ओबीसी श्रेणी के वे उम्मीदवार जो "क्रीमी लेयर" से संबंधित हैं, ओबीसी श्रेणी को मिलने वाली छूट के हकदार नहीं हैं, और ऐसे उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी सामान्य / अनारक्षित के रूप में दर्शानी होगी।

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) वर्ग के लोगों को इसके अतिरिक्त एक 'घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें वे यह दावा करते हों कि वे पिछले तीन विनीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी में नहीं आते हैं। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों/प्रमाण पत्रों में ही होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के

रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपनी जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है, और उस गांव/शहर का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जहां उम्मीदवार सामान्यतः निवासी है।

बी) इंडब्ल्यूएस के लिए (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत न आने वाले और जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडब्ल्यूएस) के रूप में पहचाना जाएगा। इस आय में आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि सभी स्रोतों से होने वाली आय भी शामिल होगी। साथ ही, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना इंडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा।

- i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- ii) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय फ्लैट;
- iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड;
- iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

इंडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय, विभिन्न स्थानों या विभिन्न शहरों में किसी “परिवार” द्वारा धारित संपत्ति को एक साथ रखा जाएगा।

इस संदर्भ में “परिवार” शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी (जैसे एसडीओ/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त आदि) द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया यह प्रमाण पत्र ही इंडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इन शर्तों को पूरा न करने पर, इंडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित स्थिति के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को केवल सामान्य (UR) श्रेणी के रूप में ही माना जाएगा।

इंडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक, विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019- स्थापना (संकल्प), दिनांक 31.01.2019 और इस संबंध में लागू भारत सरकार के अन्य निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा, इंडब्ल्यूएस उम्मीदवारों द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। अंतिम तिथि के बाद और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले वाले वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जून, 2026 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 होगा और प्रमाण पत्र 2026-2027 के लिए वैध होगा।

सी) सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट:

भारत सरकार/सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। [इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी, जिसमें उन मामलों में 5 वर्ष की आयु में छूट शामिल है जहां पद उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार, ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को अधिकतम 8 वर्ष तक की आयु में छूट मिलेगी, जिसमें उन मामलों में 3 वर्ष की आयु में छूट शामिल है जहां पद उनकी संबंधित श्रेणी के लिए आरक्षित है।]

यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी तीन वर्ष की निरंतर सेवा हो और जो समान श्रेणी या संबद्ध कैडर के पदों पर कार्यरत हों, तथा जहां यह स्थापित किया जा सके कि उस विशेष पद पर पूर्व में दी गई सेवा उस पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी जिसके लिए भर्ती की जा रही है। इस संबंध में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी के पास होगा।

सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आने का दावा करने वाले और इस अनुच्छेद के अंतर्गत आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किया गया, कार्यालय के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि वह नियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी है और आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतनभोगी/घंटे के हिसाब से भुगतान पाने वाला/अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी नहीं है।

सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अस्थायी/अनुबंधात्मक/परियोजना कर्मचारियों आदि को सरकारी कर्मचारी स्थिति में "नहीं" का उल्लेख करना चाहिए।

डी) मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु में छूट:

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट दी जाएगी [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कुल 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष]।

- (i) श्रेणी ए - अंधापन और कम दृष्टि;
- (ii) श्रेणी बी - बधिर और कम सुनने वाले;
- (iii) श्रेणी सी - मस्तिष्क पक्षाघात, कृष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी सहित चलने-फिरने में अक्षमता;
- (iv) श्रेणी डी - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग;
- (v) श्रेणी ई - खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-अक्षमताएँ, जिनमें शामिल हैं बहरापन-अंधापन।

टिप्पणी : उपर्युक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी।

विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट दी जाएगी, चाहे पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो या नहीं, बशर्ते कि पद विकलांगता की संबंधित श्रेणी के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

इस उप-अनुच्छेद के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति, प्रासंगिक मानक विकलांगता के कम से कम 40% से पीड़ित होने पर, शर्तों में छूट/पदों में आरक्षण के पात्र होंगे। उन्हें अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि शारीरिक विकलांगता की डिग्री 40% या उससे अधिक है। मानक विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है, उन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 दिनांक 15.06.2017 के अध्याय 7 के नियम 18(1) के प्रपत्र V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 15.06.2017 के अनुसार संशोधित प्रारूपों के लिए प्रपत्र V, VI और VII (जैसा भी मामला हो) देखें। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 (निरस्त) के अंतर्गत जारी मौजूदा विकलांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बने रहेंगे।

उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अन्य सभी छूटें/रियायतें भारत सरकार के आदेशों के अनुसार होंगी। कृपया ध्यान दें, दिव्यांगजन उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी जाति/समुदाय (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/अंतरराष्ट्रीय वर्ग) का उल्लेख करना चाहिए और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षेत्रीय आरक्षण है। केवल मानक शारीरिक अक्षमता वाले उम्मीदवारों को ही दिव्यांगजन माना जाएगा और वे दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित आरक्षण के पात्र होंगे। दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बाद) आवेदन किए गए पदों के लिए निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानकों को पूरा करता/करती पाया जाए।

ई) पूर्व सैनिकों (ई एक्स एस) उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट:

पूर्व सैन्य सेवा (EXS) उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक की वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पूर्व सैनिक माना जाएगा जो कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 116 (ई) में निर्धारित परिभाषा एवं मानदंडों को पूरा करते हैं, जो संख्या 36034/1/2019-Estt (Res) दिनांक 13.02.2020 के माध्यम से जारी की गई है और समय-समय

पर संशोधित की गई है।

एफ) भारत सरकार/सीएसआईआर के मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार आयु में कोई अन्य छूट लागू होगी और ऊपर बताई गई सभी आयु छूटें संपूर्ण नहीं हैं। आयु छूटों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया भारत सरकार/सीएसआईआर के समय-समय पर संशोधित आदेशों का संदर्भ लें।

नोट: एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/पूर्व सैनिक आदि से संबंधित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए मान्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र) निर्धारित प्रारूप में करना आवश्यक है। सूचना और अनुपालन हेतु, उपर्युक्त एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन में प्रोफार्मा के रूप में संलग्न है। संबंधित उम्मीदवारों को परीक्षा/परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन के समय (जब भी आवश्यक हो) मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम के उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम के श्रेणी में आने का प्रमाण पत्र सत्यापित / पुष्टि नहीं हो जाता। आरक्षित पदों पर नियुक्तियां अनंतिम होंगी और जाति प्रमाण पत्रों के उचित सत्यापन के अधीन होंगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि उम्मीदवार का एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम से संबंधित होने का दावा झूठा है, या यह पता चलता है कि उम्मीदवार का क्रीमी लेयर से संबंधित होने का दावा झूठा है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी और झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जाने वाली आगे की कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. तकनीशियन-1 के लिए चयन प्रक्रिया:

सीएसआईआर-एनपीएल के निदेशक द्वारा विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशसित सभी आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड /विषय में ट्रेड टेस्ट (प्रकृति में अर्हता प्राप्त करने वाला) के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगी लिखित परीक्षा में तीन प्रश्नपत्र होंगे (प्रथम प्रश्नपत्र, द्वितीय प्रश्नपत्र और तृतीय प्रश्नपत्र)। द्वितीय और तृतीय प्रश्नपत्र (अर्थात् प्रश्नपत्र-II और प्रश्नपत्र-III) का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जिन्होंने प्रथम प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र-I) में न्यूनतम अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित) प्राप्त किए हों।

अंतिम मेरिट सूची प्रश्नपत्र-II और III में आयोजित प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

ए) लिखित परीक्षा की योजना:

परीक्षा का तरीका	ओ एम आर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा ।
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे ।
परीक्षा का स्तर	एस एस सी / 10 कक्षा या समकक्ष स्तर [पद की विज्ञापित योग्यता के आधार पर] ।
प्रश्नों की कुल संख्या	150
कुल आवंटित समय	2 घंटे 30 मिनट

पेपर-I [आवंटित समय – 1 घंटा]

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
मानसिक क्षमता परीक्षण*	50	100 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु दो अंक)	इस प्रश्नपत्र में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

*मानसिक योग्यता परीक्षण इस प्रकार तैयार किया जाएगा जिसमें सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, तर्क क्षमता, समस्या समाधान, परिस्थितिजन्य निर्णय क्षमता आदि शामिल हों।

पेपर – II [आवंटित समय – 30 मिनट]

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
सामान्य जागरूकता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक नकारात्मक अंक
अंग्रेजी भाषा	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक नकारात्मक अंक

पेपर-III [आवंटित समय – 1 घंटा]

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
संबंधित विषय	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक नकारात्मक अंक

बी) योग्यता सूची तैयार करना:

ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण होने वालों को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगी लिखित परीक्षा में तीन प्रश्नपत्र होंगे (प्रश्नपत्र-I, प्रश्नपत्र-II और प्रश्नपत्र-III) प्रश्नपत्र-I योग्यता निर्धारण के लिए है।

दूसरे और तीसरे प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र-II और प्रश्नपत्र-III) का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पहले प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र-I) में न्यूनतम अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित) प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी: विज्ञापित पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन समिति द्वारा निर्धारित ट्रेड टेस्ट और पेपर - I के न्यूनतम कट-ऑफ अंक, लिखित परीक्षा से पहले सभी संबंधित जानकारी हेतु CSIR-NPL की मुख्य वेबसाइट पर अधिसूचित कर दी जाएगी।

तकनीशियन-1 के पद के लिए बराबर अंकों के मामलों के समाधान हेतु प्रक्रिया :

यदि लिखित परीक्षा (योग्यता पत्र को छोड़कर) में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के कुल अंक बराबर हों, तो योग्यता का निर्धारण सीएसआईआर द्वारा अपने परिपत्र पत्र संख्या 5-1(211)/2014-पीडी दिनांक 30.05.2023 के माध्यम से अधिसूचित निम्नलिखित मानदंडों को वरीयता क्रम में लागू करके तब तक किया जाएगा जब तक कि टाई का समाधान नहीं हो जाता:

वरीयता क्रम
I. संबंधित विषय/ट्रेड के प्रश्नपत्रों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा।
II. यदि लागू हो, तो लिखित परीक्षा के संबंधित विषय/ट्रेड के प्रश्नपत्रों में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान प्राप्त करने वाला उम्मीदवार माना जाएगा।
III. यदि लागू हो, तो लिखित परीक्षा के उन प्रश्नपत्रों (जिन पर योग्यता सूची तैयार करने के लिए विचार किया गया है) में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
IV. जन्म तिथि के आधार पर, अधिक उम्र के उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाता है।
V. आवश्यक डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पहले ही उच्च स्थान प्राप्त हो चुका है।
VI. उम्मीदवारों के प्रथम नामों का वर्णानुक्रम।

5. आवेदन कैसे करें:

- ए) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे अलग-अलग पदों के लिए उचित शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे।
- सी) डिमांड ड्राफ्ट के पीछे निम्नलिखित विवरण अवश्य भरें: (i) उम्मीदवार का नाम, (ii) आवेदन किए गए पद का कोड। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग / महिला / विदेश में रहने वाले/ट्रांसजेंडर वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।
- बी) निर्धारित आवेदन पत्र एनपीएल की वेबसाइट www.nplindia.in से डाउनलोड किया जाना चाहिए। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) के समर्थन में प्रमाण पत्रों, मार्कशीट, प्रशंसा पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ, हाल ही में पासपोर्ट आकार की स्व-हस्ताक्षरित फोटो के साथ, साथ ही केंद्रीय/राज्य/पीएसयू/स्वायत्त संगठनों आदि में स्थायी पद पर कार्यरत उम्मीदवारों के मामले में नियोक्ता द्वारा आवेदन प्रारूप में दिए गए अनुमोदन के साथ, आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) 500/- रुपये (केवल पांच सौ रुपये) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पर जारी किए गए क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में, जो कम से कम 3 महीने के लिए वैध हो और "निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला" के पक्ष में नई दिल्ली में देय हो, को "तकनीशियन (1) - (पोस्ट कोड संख्या _____) के पद के लिए आवेदन" अंकित लिफाफे में डाक द्वारा "वरिष्ठ प्रशासनिक नियंत्रक, सीएसआईआर- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, डॉ. के.एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110012", को भेजा जाना चाहिए। जो 30.06.2026 को या उससे पहले पहुंच जाए।
- डी) जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा CGPA/SGPA/OGPA ग्रेड आदि दिए जाते हैं, उन मामलों में उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय / संस्थान के सूत्र के अनुसार इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित कर आवेदन पत्र में दर्शाएं।
- ई) प्रयोगशाला में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2026 है।
- एफ) सुदूर क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए भी यह तिथि समान रहेगी।

- जी) एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और एक बार भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी, न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।
- एच) सरकारी विभागों के कर्मचारियों के आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा, जब उन्हें नियोक्ता द्वारा विधिवत अग्रेषित / अनुमोदित / प्रमाणित किया गया हो, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि यदि आवेदक का चयन हो जाता है, तो उसे नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसमें सतर्कता मंजूरी (Vigilance clearance) का उल्लेख भी होना चाहिए। तथापि, आवेदन की एक "अग्रिम प्रति" (Advance Copy) अंतिम तिथि से पहले जमा की जा सकती है। उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन सीएसआईआर - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तक यथाशीघ्र पहुँच जाने चाहिए।
- आई) उम्मीदवारों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किसी भी कारण से (जैसे गलत पते वाले लिफाफे, कहीं और वितरित किए गए लिफाफे, डाक में देरी आदि) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- जे) अधूरे आवेदन (अर्थात्, बिना फोटो, आवेदन शुल्क, लागू प्रमाण पत्र और बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन आदि) स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्ण आवेदन पत्र की मुद्रित हार्डकॉपी संलग्न करें, साथ ही निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए:

- ए) जहां भी लागू हो, आवेदन शुल्क के रूप में **500/- रुपये (केवल पांच सौ रुपये)** का डिमांड ड्राफ्ट निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के नाम पर नई दिल्ली में देय होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे व्यक्तिगत विवरण (अर्थात् नाम और पोस्ट कोड) अवश्य अंकित होने चाहिए।
- बी) आवेदन पत्र (भाग-I) पर नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर चिपकाई जानी चाहिए और उस पर निर्देश अनुसार पूरे हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- सी) **आवेदन पत्र के भाग-II पर पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाएं। फोटो पर हस्ताक्षर न करें।**
- डी) जन्म प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
- ई) आवश्यक योग्यता और किसी भी उच्च योग्यता को प्रमाणित करने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्रों) और/या मार्कशीट(मार्कशीटों) की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
- एफ) यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
- जी) यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र हो तो उसकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
- एच) यदि लागू हो तो, ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबी / छूट चाहने वाली महिला / पूर्व सैनिक / ट्रांसजेंडर के प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
- आई) यदि कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज हों तो उनकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।

विस्तृत भर्ती विज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में निर्देश और विषय वस्तु के किसी भी बिंदु पर कोई विसंगति पाए जाने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक
सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला,
नई दिल्ली

प्रमाणपत्रों के लिए प्रारूपों की सूची

प्रोफार्मा	प्रोफार्मा का विवरण
प्रोफॉर्मा-I	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।
प्रोफॉर्मा-Iए	ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त) प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र।
प्रोफॉर्मा-II	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।
प्रोफार्मा-III	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्रोफॉर्मा-IV	दिव्यंगता प्रमाण पत्र (अंग विच्छेदन या अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामलों में और अंधत्व के मामलों में)
प्रोफॉर्मा-V	दिव्यंगता प्रमाणपत्र (एकाधिक विकलांगताओं के मामलों में)
प्रोफॉर्मा-VI	योग्यता प्रमाण पत्र (फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)
प्रोफार्मा-VII	सीएसआईआर/ सरकारी संगठनों/ स्वायत्त निकायों/ वैधानिक निकायों/ विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।
प्रोफार्मा-VIII	विभागीय उम्मीदवारों द्वारा आयु में छूट का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/
पुत्री,..... गांव/ कस्बा,
जिला/मंडल,..... के निवासी हैं और
जाति से हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक
के संकल्प संख्या के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।* और/या
उनका परिवार सामान्यतःराज्य/संघ राज्य क्षेत्र के
..... जिला/मंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है
कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-
स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस), दिनांक 14
अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) और दिनांक 27 मई, 2013 के कार्यालय
ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से
संबंधित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त

दिनांक.....

कार्यालय की मुहर.....

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई है।

** समय-समय पर संशोधित।

नोट: - यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

\$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।

1. जिलाधिकारी /अपर जिलाधिकारी /कलेक्टर/उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट(सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट)/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।
1. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
2. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हों।
3. उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
4. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र का प्रारूप
(जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी गांव/
कस्बा/ शहर जिला राज्य
..... एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं जाति से हूँ
जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36102/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8-9-1993 में निहित
आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी
घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-
स्था.(आरक्षण) दिनांक 9 मार्च, 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर,
2008 और समय-समय पर संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं
हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक
आय की शर्त आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पता.....

स्थान:.....

तारीख:.....

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री*..... पुत्र/पुत्री* गांव/शहर*..... जिला/मंडल*..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..... की जाति/जनजाति* से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है-

@ संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950

@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950

@ संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951

@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 , पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@ संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश , 1959 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) आदेश , 1976 द्वारा यथा संशोधित

@ संविधान (दादर और नगर हवेली ii) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@ , संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश देना, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन और दिल्ली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम वाही करना। 1991

@ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम , 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी*
.....के गांव/कस्बा*/क्षेत्र**जिला/मंडल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के जो
उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता प्राप्त है, को दिनांक.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार
पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/सुश्री*.....और/या* उनका/उनकी* परिवार सामान्यतः राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* के
.....जिला/संभाग* के गांव/कस्बे*.....में रहती है।

हस्ताक्षर.....

**पद का नाम.....।

(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान:

दिनांक:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....

* * कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं होता

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची**

1. जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी /कलेक्टर/उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट(सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट)/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हों।
4. उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

.....सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र सं.....

दिनांक.....

वर्ष..... के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/गली,..... डाकघर,क्षेत्र पिन कोड का स्थायी निवासी है, जिसका
फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक आय*
वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उसके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी
संपत्ति नहीं है**:


- I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/सुश्री..... जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
(केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....



* नोट 1: आय के सभी स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल किया गया है।

**नोट 2: आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति के "परिवार" शब्द के प्रयोजन में उस व्यक्ति के माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

प्रारूप - V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री जन्म तिथि
(DD/MM/YYYY) आयु..... वर्ष, पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी
मकान नंबर..... वार्ड/गाँव/गली डाकघर जिला
राज्य जिसकी तस्वीर ऊपर लगी है, मैंने ध्यान से जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(A) वह निम्नलिखित का मामला है:

- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन
- अंधापन

(कृपया लागू होने पर टिक करें)

(B) उसके मामले में निदान है.....

(1) उसे..... % (अंकों में)..... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता/बौनापन/अंधापन है,
उसके..... (शरीर का अंग) के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार..... (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख
निर्दिष्ट की जानी है)।

(2) आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

जिस व्यक्ति के पक्ष में
विकलांगता प्रमाण पत्र
जारी किया गया है,
उसके हस्ताक्षर/अंगूठे
का निशान।

प्रारूप-VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(एक से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में) [नियम 18(1) देखें]
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का
हाल का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री
..... जन्मतिथि (दि/म/व) आयु वर्ष पुरूष/
महिला पंजीकरण संख्या ,जोकि मकान नं.
..... वार्ड/ गांव/ गली डाकघर जिला
..... राज्य..... के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी
गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि

(क) वे एक से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निशक्तता / दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) के
अनुसार निम्नलिखित इंगित दिव्यांगताओं के लिए जांच किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निशक्तता के
समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशाक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशा संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	अंधापन	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विश्लेषण अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल बीमारी			

(ख) उपर्युक्त के अनुसार, उनके स्थायी शारीरिक निशाक्तता (दिशानिर्देशों की संख्या एवं जारी करने की तिथि का उल्लेख करें) का कुल मूल्यांकन निम्नानुसार है-

अंकों मेंप्रतिशत

शब्दों मेंप्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है / गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है, अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात् पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र
(तारीख) (माह) (वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों बाहें/ टांगें

उदाहरणतः एक आँख/ दोनों आंखें

(उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
--------------------	--------------------	---

5. चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर)

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /
अंगूठे की छाप जिसके लिए
निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी
किया गया है

प्रारूप-VII – दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही
का पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमित फोटो (केवल
चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री
जन्मतिथि (दि/म/व) आयु वर्ष पुरुष/ महिला पंजीकरण संख्या
....., जोकि मकान नं. वार्ड/ गांव/ गली डाकघर
जिला राज्य..... के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की
सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निशक्तता /
दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) के
अनुसार निम्नलिखित इंगित निशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निशक्तता के समक्ष दर्शाया गया
है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशा संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	£		
8.	श्रवण दिव्यांगता	£		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विश्लेषण अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल बीमारी			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है / गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है, अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात् पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख)

(माह) (वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों बाहें/ टांगें
उदाहरणतः एक आँख/ दोनों आँखें
£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /
अंगूठे की छाप जिसके
लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र
जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

टिप्पणी: मूल नियम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 489, दिनांक 15.06.2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप

(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का लेटर हेड)

क्रमांक

दिनांक: [DD/MM/YYYY]

विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] के लिए आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं और [शामिल होने की तारीख] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन की तारीख] के माध्यम से विज्ञापित पद [पोस्ट कोड/पद] के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त रोजगार के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के तहत किसी भी दंड के अधीन नहीं हैं और डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, और न ही इस प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक, या आपराधिक मामले लंबित हैं। उनके चयन की स्थिति में, उन्हें एक महीने में कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र आवेदक के अनुरोध पर उक्त विज्ञापन के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

स्थान:

[विभाग/संगठन का नाम] के लिए,

[जारी करने वाले प्राधिकरण के हस्ताक्षर]
 [जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम]
 [जारी करने वाले प्राधिकरण का पदनाम]
 [आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]
 [संपर्क जानकारी]
 [विभाग/संगठन का पता]

आयु में छूट का दावा करने के लिए विभागीय उम्मीदवारों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकारी का लेटर हेड)

क्रमांक

दिनांक: [DD/MM/YYYY]

विज्ञापन संख्या के विरुद्ध आवेदन करने के लिए आयु में छूट का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री श्री..... के पुत्र/पुत्री/पत्नी..... (संस्थान का नाम) के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं और उनके द्वारा अवधि के दौरान किए गए कर्तव्य इस प्रकार हैं:

- (i)
- (ii)
- (iii)

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) डॉ./श्री/सुश्री के पद पर (संस्थान का नाम) में से तक स्थायी रूप से कार्यरत हैं।

अथवा

*(ख) डॉ./श्री/सुश्री..... के पद पर (संस्थान का नाम) में..... से तक नियमित आधार पर लगातार अस्थायी सेवा में हैं।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान:

[संस्थान का नाम] के लिए,
[जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम]
[जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम]
[सरकारी मुहर/स्टाम्प]